न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..............................से..............................

जिला–खगड़िया..............................,सा0..............................,सन्..............................

केस का प्रकार:–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:– 12/ /2018 राज्य बनाम थाना बेलदौर कांड संख्या:–84/2017

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
18.06.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत बेलदौर में दर्ज कांड संख्या:–84/2017, दिनांक 04.05.2017 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2455/हि0शा0, दिनांक 30.05.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, बेलदौर का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 180 एम0एल0 का 960 (नौ सौ साठ) बोतल, 375 एम0एल0 का 840 (आठ सौ चालीस) बोतल एवं 750 एम0एल0 का 396 (तीन सौ छियानवे) बोतल कुल–2196 बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना से जाँच कराया गया है तथा शेष 750 एम0एल0 का 396 (तीन सौ छियानवे) बोतल, 180 एम0एल0 का 960 (नौ सौ साठ) बोतल एवं 375 एम0एल0 का 840(आठ सौ चालीस) बोतल विदेशी शराब बेलदौर थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना बेलदौर थाने के मालखाना में रखी गई कुल:–784.800 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना बेलदौर में दर्ज संख्या:–84/2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–784.800 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। 18/6/18 समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया (बिहार) 18/6/18 समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
बिहार कुमार (ए0 निबंधन पदाधिकारी) 20/6/18 371, 372, 373.	डी0 बी0 नं0 371 / विधि, दिनांक 23.6.2018 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, बेलदौर / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 20/6/18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, 19/6/18 खगड़िया।	